

**न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड**

जमानत आवेदन क्रमांक 210/18

1. देवेंद्र शर्मा पुत्र रामशंकर शर्मा आयु 42 वर्ष
  2. सौरभ शर्मा पुत्र देवेंद्र शर्मा आयु 20 वर्ष
- उक्त दोनों निवासी ग्राम बगुलरी थाना गोहद  
जिला भिण्ड, म.प्र.

—आवेदकगण

विरुद्ध

पुलिस थाना गोहद, जिला भिण्ड

—अनावेदक

13-06-2018

आवेदक/अभियुक्तगण देवेंद्र व सौरभ की ओर से श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

पुलिस थाना गोहद से अपराध क्रमांक 147/18 अंतर्गत धारा 327, 323, 294 व 506 भा0दं0सं0 की केस डायरी मय कैफियत प्राप्त।

प्रकरण में आवेदक/अभियुक्तगण देवेंद्र व सौरभ की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण गुप्ता ने संबंधित जेएमएफसी न्यायालय से आवेदन पत्र धारा 437 दं0प्र0सं0 निरस्त हो जाने के उपरांत प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 के संबंध में निवेदन किया है कि उक्त प्रथम जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई आवेदन किसी भी समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निराकृत हुआ है, जिसकी पुष्टि में शपथपत्रकर्ता बनवारीलाल द्वारा स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया है।

आवेदकगण की ओर से अधि. श्री प्रवीण गुप्ता द्वारा प्रथम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 के संबंध में निवेदन किया कि पुलिस थाना गोहद ने आवेदकगण के विरुद्ध झूठा अपराध पंजीबद्ध किया है, जबकि आवेदकगण ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदकगण ने शराब पीने के लिये रूपयों की मांग नहीं की है। आवेदकगण दिनांक 08.06.18 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदकगण स्थानीय निवासी है तथा अनुसंधान में पूर्ण सहयोग करेगा एवं साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा। अभियोजित अपराध जेएमएफसी न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः इन्हीं सब आधारों पर आवेदकगण को जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर उसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदनों पर विचार करते हुये संपूर्ण केस

डायरी का परिशीलन किया गया, जिससे पाया जाता है कि अभियोजन अनुसार दिनांक 08.06.18 को सुबह 8:30 बजे फरियादी जाकिर खान अपने घर से मालनपुर बुआ के यहां जा रहा था। जैसे ही वह बस स्टेण्ड गोहद पर आया तो मोटरसाईकिल क्रमांक जी.जे. 26 एफ 2117 से तीन लोग गौरव शर्मा, सौरभ शर्मा व देवेंद्र शर्मा मिले और उसे मादरचोद-बहनचोद की गालियां देकर बोले कि शराब पीने के लिये रुपये दो, नहीं देगा तो तुझे जान से खत्म कर देंगे। जब फरियादी ने रुपये नहीं दिये तो अभियुक्तगण द्वारा उसकी थप्पड़ों से मारपीट कर दी गई।

उक्त के संबंध में फरियादी जाकिर खान द्वारा रिपोर्ट करने पर पुलिस थाना गोहद में अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 147/18 अंतर्गत धारा 327, 323, 294, 506, 34 भा0दं0सं0 पंजीबद्ध किया गया है, जो मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं होकर जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय के द्वारा विचारणीय है। आवेदक/अभियुक्तगण दिनांक 08.06.18 से निरंतर न्यायिक अभिरक्षा में है और प्रकरण के निराकरण में विलंब की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है तथा आवेदकगण गोहद जिला भिण्ड के स्थाई निवासी होना बताया गया है एवं आवेदक/अभियुक्तगण का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड होना एवं फरियादी/आहत को कथित मारपीट में कोई चोटें कारित होना भी केस डायरी के अवलोकन से दर्शित नहीं होता है।

अतः उपरोक्तानुसार मामले के संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये जमानत आवेदन पत्र धारा 439 दं0प्र0सं0 स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि आवेदक/अभियुक्तगण देवेंद्र व सौरभ की ओर से निम्न शर्तों सहित 20,000/- रुपये की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का बंधपत्र संबंधित क्षेत्राधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट की संतुष्टि योग्य पेश होने पर उन्हें जमानत पर छोड़ा जावे।

1. प्रत्येक पेशी पर नियमित रूप से उपस्थित होते रहेंगे।
2. अभियोजन साक्षियों को प्रभावित/प्रलोभित नहीं करेंगे।
3. अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे।

आदेश की प्रति सहित केस डायरी संबंधित थाने को वापस भेजी जावे।  
प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(सतीश कुमार गुप्ता)  
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद